

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठारसीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 250/2021

दायर दिनांक 06.09.2021

वादी

1. रघुनाथ सिंह पुत्र स्व०
विजयसिंह उम्र 66 वर्ष जाति
राजपूत निवासी सागूकलां,
तहसील- डीडवाना,
जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादी

1. तहसील डीडवाना जिला नागौर
राज०।

दावा बाबत

रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपरिथत:-

1. श्री हरफुल राव वकील वादी।

दिनांक 08.06.2022

-:: निर्णय ::-

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है वाकै सरहद ग्राम सागू कलां का स्थायी निवासी है, जहां उसकी चल व अचल सम्पति अवस्थित है। वादी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा सं० 209 रकबा 10 बिस्वा गै० मु० वाड़ा, खसरा सं० 207/325 रकबा 01 बीघा, खसरा सं० 81 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं० 255/331 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं० 262/332 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं० 262/333 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा वाकै सरहद ग्राम सागू कलां, पटवार हल्का केराप, भू-अभि० निरीक्षक केराप, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज० में अवस्थित है।

यह है कि वादी की खातेदारी व हक अधिकार के उपरोक्त खसरा सं० 209, 207/325, 81, 255/331, 262/332, 262/333 की भूमि में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल व सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रूगनाथ सिंह व रूघनाथ सिंह दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम रघुनाथ सिंह पुत्र विजय सिंह है जो सही एवं सत्य है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :-

यह है कि वादी के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं० 209 रकबा 10 बिस्वा गै० मु० वाड़ा, खसरा सं० 207/325 रकबा 01 बीघा, खसरा सं० 81 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं० 255/331 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं० 262/332 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं० 262/333 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा वाकै सरहद ग्राम सागू कलां में वादी का नाम रूगनाथ सिंह व रूघनाथ सिंह के स्थान पर रघुनाथ सिंह राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्त किया जावे तथा इसी अनुरूप वादी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।


वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील वादी को सुना गया। रेकॉर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना से रिपोर्ट ली गई। जिसे वाद तरदीक सामिल मिसल किया। वाद में उपरोक्त वर्णित खसरान् में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वादी का नाम रूगनाथ सिंह व रूघनाथ सिंह के स्थान पर रघुनाथ सिंह किया जाना उचित प्रतित होता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)




आदेश

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद सागू कलां के खसरा सं० 209, 207/325, 81, 255/331, 262/332, 262/333 में उपलब्ध साक्ष्यों व तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के आधार पर वादी का नाम रुगनाथ सिंह व रुघनाथ सिंह के स्थान पर रघुनाथ सिंह राजस्व रिकर्ड में दुरुस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 08.06.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना कलेक्टर
डीडवाना

डिक्री वमुकदमें इव्त्दाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाव्त्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
वइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 250/2021

दायर दिनांक 06.09.2021

वादी
1. रघुनाथ सिंह पुत्र स्व0
विजयसिंह उम्र 66 वर्ष जाति
राजपूत निवासी सागूकलां,
तहसील- डीडवाना,
जिला-नागौर, राजस्थान।

प्रतिवादी
1. तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।


दावा बाबत्

रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनांक 08.06.2022


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिव मुददई श्री हरफुल राव वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद सागू कलां के खसरा सं0 209, 207/325, 81, 255/331, 262/332, 262/333 में उपलब्ध साक्ष्यों व तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के आधार पर वादी का नाम रूगनाथ सिंह व रूघनाथ सिंह के स्थान पर रघुनाथ सिंह राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
वसव्त्ता मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.06.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।


सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सयूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुदमनामा मुतफरिंक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुदमनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)